समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी 1563-PBR-15 म0प्र0

निगरानी प्रकरण कं. 0015

1. धापू बाई पुत्री स्व0 श्री मोतिलाल,
   आयु वयस्क, निवासी–आबास कालोनी,
   रेहटी, जिला सीहोर म0प्र0
2. श्रीमती शोभा बाई पत्नि श्री शिवनारायण,
   आयु वयस्क, निवासी–बस स्टैण्ड,
   रेहटी, जिला सीहोर म0प्र0 ---- निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

विरूद्ध

कमल सिंह आ0 खुमान सिंह
निवासी–ग्राम लुम्बिनी परिसर,
अम्बेडकर नगर, माता मंदिर,
भोपाल जिला भोपाल म0प्र0 ---- अनावेदक

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

आवेदकगण की ओर से माननीय अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर म0प्र0 के द्वारा अपील प्रकरण कं. 6/अपील/2013–14, पक्षकार कमल सिंह विरूद्ध धापू बाई व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10/05/2015 से व्यथीत होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हैः–

निगरानी के तथ्य

सक्षिप्त में मामला इस प्रकार है किः–

1. यह कि अनावेदक कमल सिंह एवं आवेदकगण की श्रीमती धापू बाई पत्नि है तथा श्रीमती शोभा बाई पुत्री है। अनावेदक के द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेहटी तहसीलदार महोदय जिला सीहोर म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कं.

निरंतर.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R-1563–पीबीअर–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश घापूबाई / कमल सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुघनी के प्रकरण कमांक 6/अपी/13–14 में पारित आदेश दिनांक 10.05.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एम0एल0 रघुबंशी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.05.15 का अवलोकन कर परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में मात्र धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण में गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु उत्तरवादी जो इस प्रकरण में आवेदक हैं को एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को बुलाए जाने के आदेश दिए गये है। प्रकरण में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए हों। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पृथमदृष्ट्या ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है परिणामस्वरूप यह निगरानी अग्राह्य की जाकर इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	